

कार्यालय—जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, हाथरस

पत्रांक: बी0टी0सी0-15/

/2016-17

दिनांक

विज्ञापित

बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, 2015 हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-426/15-11-2016-2067/2013 शिक्षा अनुभाग-11, लखनऊ, दिनांक 14 जून, 2016 एवं सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्रांक:गोप0/बी0टी0सी0-2015/8284-8358/2016-17 दिनांक 06.08.2016 के अनुपालन में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, 2015 हेतु प्रथम व द्वितीय औपबन्धिक जांच सूची के आधार पर काउन्सिलिंग में उपस्थित एवं अर्ह अभ्यर्थियों की द्वितीय औपबन्धिक अनन्तिम चयन सूची (निजी संस्थानों हेतु) रिक्तियों के सापेक्ष लगभग 04 गुना, गुणांक के अवरोही क्रम में तथा प्रथम व द्वितीय अभिलेखीय जांच सूची की कटऑफ मैरिट से नीचे तृतीय अभिलेखीय जांच सूची निर्गत की जा रही है। निजी संस्थानों हेतु निर्गत द्वितीय औपबन्धिक अनन्तिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क रू0 41,000/-का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो प्राचार्य—जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, हाथरस के पदनाम से Payable at hathras हो के साथ समस्त मूल शैक्षिक अभिलेख/आरक्षण/विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, मूलनिवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, ई-रजिस्ट्रेशन, चालान, आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप) तथा उनकी दो-दो स्व प्रमाणित छायाप्रतियां, पासपोर्ट साइज के नवीनतम दो रंगीन फोटो ग्राफ सहित उपस्थित होकर प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। उक्त से सम्बन्धित कटऑफ मैरिट का विवरण जनपद की वेबसाइट www.hathras.nic.in पर देख सकते हैं। उक्त औपबन्धिक द्वितीय अनन्तिम चयन सूची डायट के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की गई है। प्रथम अनन्तिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है।

श्रेणी	निजी संस्थानों हेतु द्वितीय औपबन्धिक अनन्तिम चयन सूची का कट-ऑफ मैरिट				निजी संस्थान हेतु निर्गत द्वितीय औपबन्धिक अनन्तिम चयन सूची के समस्त वर्ग के महिला/पुरुष अभ्यर्थी (कला एवं विज्ञान) दिनांक 14.9.2016 को उपस्थिति हों।	तृतीय अभिलेखीय जांच सूची का कट ऑफ मैरिट (प्रथम व द्वितीय अभिलेखीय जांच सूची में छूटे हुए अभ्यर्थियों को तृतीय जांच सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।)				तृतीय अभिलेखीय जांच सूची में सम्मिलित समस्त वर्ग के महिला अभ्यर्थी, दिनांक 11.09.2016 को तथा समस्त वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी दिनांक 12.09.2016 को उपस्थित हों
	महिला		पुरुष			महिला		पुरुष		
	कला	विज्ञान	कला	विज्ञान		कला	विज्ञान	कला	विज्ञान	
अनारक्षित	—	—	182.09	196.14	193.18	190.77	172.00	191.20		
अनुसूचित जाति	—	145.13	—	177.25	179.28	—	165.86	173.05		
अनु0जन जाति	—	—	—	—	127.35	—	128.43	—		
अन्य पिछडा वर्ग	—	—	172.95	188.54	191.41	183.82	—	—		
विशेष आरक्षण					विशेष आरक्षण					
विकलांग-दृष्टिवाधित	—		169.44		106.17		128.27			
विकलांग श्रवण हास	158.72		142.98		—		—			
विकलांग चलन क्रिया			186.04		179.12		184.10			

नोट—

- 1 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, हाथरस में उपरोक्त तिथियों में मूल अभिलेख जमा करने का आशय प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है। रिक्त के सापेक्ष अधिक अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर उच्च गुणांक वाले अभ्यर्थी के चयन सम्बन्धी कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी तथा कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख एवं बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिये जायेंगे। इस सन्दर्भ में अभ्यर्थी का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
- 2 उक्त कट ऑफ मैरिट के अन्तर्गत सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों को जमा करने हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हाथरस में उपस्थित होने की सूचना केवल समाचार पत्र एवं जनपद की वेबसाइट www.hathras.nic.in के माध्यम से दी जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से सूचना नहीं दी जायेगी निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने की स्थिति में पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
- 3 उक्त द्वितीय औपबन्धिक अनन्तिम चयन सूची मा0 उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं लिपिकीय त्रुटि के संधान व रिशफलिंग के अधीन होगी।
- 4 सम्बन्धित अभ्यर्थी यदि निर्धारित तिथि को प्रवेश हेतु संस्थान में उपस्थित नहीं होते हैं तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जायेगा और उसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त मानते हुए वरीयता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी पर विचार किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 5 उक्त द्वितीय औपबन्धिक अनन्तिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी अपने मूल अभिलेख जमा कराते समय अपने ई-आवेदन पत्र में अंकित विवरण की सत्यता व अपने अभिलेखों के सम्बन्ध में यह शपथपत्र प्रस्तुत करेगा कि “वह वास्तव में उत्तर प्रदेश केजनपद का मूल निवासी है, उसके द्वारा ई-आवेदन पत्र व जांच प्रपत्र में भरा गया विवरण सत्य है, चयन/प्रशिक्षण/प्रशिक्षणोपरान्त किसी भी स्तर पर कोई सूचना गलत पाये जाने अथवा फर्जी पाये जाने अथवा चयन त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।
- 6 निजी विश्वविद्यालय (प्राइवेट यूनीवर्सटी) के शैक्षिक योग्यता /उपाधि प्राप्त होने की स्थिति में यू0जी0सी0 से उक्त विश्वविद्यालय से मान्यता होने का पत्र की प्रति साथ लाना आवश्यक है।
- 7 बी0टी0सी0-2015 का दो वर्षीय प्रशिक्षण दिनांक 22.9.2016 से डायट एवं निजी संस्थानों में प्रारम्भ होगा, डायट का हैल्पलाइन नं0 05722-231825।
- 8 प्रथम अनन्तिम चयन सूची के मूल अभिलेख जमा करने वाले अभ्यर्थी डायट/निजी संस्थान आवंटन की सूची डायट के सूचना पट्ट पर एवं जनपद की वेबसाइट www.hathras.nic.in पर दिनांक 14.9.2016 को देख सकते हैं।

प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
हाथरस